

**निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग**  
(उत्पाद एवं मद्य निषेध)

प्रेषक,

नवीन कुमार मिश्र  
संयुक्त आयुक्त उत्पाद  
बिहार, पटना।

सेवा में,

सहायक आयुक्त उत्पाद,  
पटना।

पटना, दिनांक:- 12-4-12

**विषय:-** सर्वश्री गुडहोस्ट लीकर्स प्रा० लि०, करमलीचक पटना द्वारा सर्वश्री रेडिको खेतान लि० के ब्राण्डों के लेबुलों को बिहार राज्य में बिक्री (आपूर्ति) हेतु वर्ष 2012-2013 के लिए नवीकरण करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 1273 दिनांक 01.04.2012 के प्रसंग में निदेशानुसार सूचित करना है कि सर्वश्री गुडहोस्ट लीकर्स प्रा० लि०, करमलीचक पटना सिटी द्वारा नवीकरण हेतु आवेदित भारत निर्मित विदेशी शराब के निम्नलिखित लेबुलों को आयुक्त उत्पाद, बिहार के आदेश से नवीकृत किया जाता है।

क्र०	ब्राण्ड/लेबुल का नाम	मात्रा (एम० एल० में)	पूर्व का निबंधन सं० एवं वर्ष	वर्ष 2012-13 के लिए नवीकरण संख्या एवं वर्ष
1	8 पी० एम० स्पेशल रेअर ब्लेन्ड ऑफ इंडियन व्हिस्की एण्ड स्काॅच	750	N 2594/11-12	2594/12-13
2	तदैव	375	N 2595/11-12	2595/12-13
3	तदैव	180	N 2596/11-12	2596/12-13
4	मैजिक मोमेन्टस प्रिमीयम बोदका	750	N 2597/11-12	2597/12-13
5	तदैव	375	N 2598/11-12	2598/12-13
6	तदैव	180	N 2599/11-12	2599/12-13
7	कन्टेसा xxx रम	750	2343/11-12	2343/12-13
8	तदैव	375	2344/11-12	2344/12-13
9	तदैव	180	2345/11-12	2345/12-13

शर्तें :-

- उपरोक्त लेबुलों को व्यवहार में लाये जाने की मान्यता अवधि दिनांक 31.03.2013 तक रहेगी। लेबुलों को व्यवहार में लाये जाने के पूर्व वर्ष 2012-13 के लिए नवीकृत इन सभी लेबुलों पर निबंधन/नवीकरण संख्या एवं वर्ष अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा।
- वार्षिक संभावित बिक्री से अधिक बिक्री होने पर नवीकरण शुल्क के अगले स्लेव के आधार पर अंतर की राशि को जमा करना होगा।
- प्रत्येक लेबुल पर वैधानिक चेतावनी "ड्रीकिंग लीकर इज इन्ज्युरियस टू हेल्थ" लाल सुस्पष्ट अक्षरों में अंकित करना होगा।
- अन्य शर्तें एवं बंधेज पूर्ववत् लागू रहेंगे।

विश्वासभाजन,

(नवीन कुमार मिश्र)

संयुक्त आयुक्त उत्पाद  
बिहार, पटना।

शापांक:- 3/एफ2-140-ले० नि०-06/2011

2012

पटना, दिनांक:- 12-4-12

प्रतिलिपि :- सभी उपायुक्त उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद/प्रबंध निदेशक, बी० एस० बी० सी० एल०, पटना/प्राधिकृत प्रतिनिधि, सर्वश्री गुडहोस्ट लीकर्स प्रा० लि०, करमलीचक पटना सिटी को सूचनार्थ एवं

बिहार सरकार  
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग  
(उत्पाद एवं मद्य निषेध)

प्रेषक,

नवीन कुमार मिश्र  
संयुक्त आयुक्त उत्पाद  
बिहार, पटना।

सेवा में,

सहायक आयुक्त उत्पाद,  
पटना।

पटना, दिनांक:- 12-4-12

विषय:- सर्वश्री गुडहोस्ट लीकर्स प्रा0 लि0, करमलीचक पटना द्वारा सर्वश्री जौन डिस्टीलरीज लि0 के ब्राण्डों के लेबुलों को बिहार राज्य में बिक्री (आपूर्ति) हेतु वर्ष 2012-2013 के लिए नवीकरण करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 1270 दिनांक 01.04.2012 के प्रसंग में निदेशानुसार सूचित करना है कि सर्वश्री गुडहोस्ट लीकर्स प्रा0 लि0, करमलीचक पटना सिटी द्वारा नवीकरण हेतु आवेदित भारत निर्मित विदेशी शराब के निम्नलिखित लेबुलों को आयुक्त उत्पाद, बिहार के आदेश से नवीकृत किया जाता है।

क्र0	ब्राण्ड/लेबुल का नाम	मात्रा (एम0 एल0 में)	पूर्व का निबंधन सं0 एवं वर्ष	वर्ष 2012-13 के लिए नवीकरण संख्या एवं वर्ष
1	ओरिजनल च्वाईस गोल्ड व्हिस्की	750	N 2538/11-12	2538/12-13
2	तदैव	375	N 2539/11-12	2539/12-13
3	तदैव	180	N 2540/11-12	2540/12-13

शर्तें

- उपरोक्त लेबुलों को व्यवहार में लाये जाने की मान्यता अवधि दिनांक 31.03.2013 तक रहेगी। लेबुलों को व्यवहार में लाये जाने के पूर्व वर्ष 2012-13 के लिए नवीकृत इन सभी लेबुलों पर निबंधन/नवीकरण संख्या एवं वर्ष अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा।
- वार्षिक संभावित बिक्री से अधिक बिक्री होने पर नवीकरण शुल्क के अगले स्लेव के आधार पर अंतर की राशि को जमा करना होगा।
- प्रत्येक लेबुल पर वैधानिक चेतावनी "ड्रीकिंग लीकर इज इन्ज्युरियस टू हेल्थ" लाल सुस्पष्ट अक्षरों में अंकित करना होगा।
- अन्य शर्तें एवं बंधेज पूर्ववत् लागू रहेंगे।

विश्वासभाजन,

(नवीन कुमार मिश्र)  
संयुक्त आयुक्त उत्पाद  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 3/एफ2-140-ले0 नि0-06/2011

2022

पटना, दिनांक:- 12-4-12

प्रतिलिपि :- सभी उपायुक्त उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद/प्रबंध निदेशक, बी0 एस0 बी0 सी0 एल0, पटना/प्राधिकृत प्रतिनिधि, सर्वश्री गुडहोस्ट लीकर्स प्रा0 लि0, करमलीचक पटना सिटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त आयुक्त उत्पाद  
बिहार, पटना।